



19

की नं. 748/16

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12026-निगरानी

निग - 748-I-V

बलवीर सिंह पुत्र मलखान सिंह,
निवासी- ग्राम सिमराव, तैस्लीठ व जिला 0 नर
मिण्ड (मध्य प्रदेश) ।

दिनांक 27.2.16 का
को का
को को
27.2.16
50

बिराध्य प्राथी

- | | | | |
|----|----------------------------------|--|------------------|
| १- | दिनेश | | |
| २- | गजेन्द्र सिंह | | पुत्राण उदल सिंह |
| ३- | वरविन्द सिंह | | |
| ४- | दिनेश सिंह पुत्र लाखन सिंह | | |
| ५- | भारत सिंह पुत्र मलखान सिंह (मृत) | | |

वारिसान:-

- (अ) पुष्पा देवी वेवा भारत सिंह
- (ब) रावेन्द्र पुत्र भारत सिंह,

सम्मत निवासीगण ग्राम- सिमराव, तैस्लीठ व
जिला मिण्ड (मध्य प्रदेश) ।

20/2/16

प्रतिप्राथीगण

निगरानी बिराध्य आदेश एस०डी०वा० महोदय मिण्ड विनाकी 19-2-16
अन्तर्गत धारा 10 मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता, 1854 प्र० का 18-14
अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०वा० महोदय की आज्ञा कानून सही
नहीं है ।

2

२- यह कि, एस०डी०वा० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-748-एक/16

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
S-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26.2.19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> <p style="text-align: center;">49</p>	